फा. सं. 28027/01/2016-स्था.क-III
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
स्थापना प्रभाग
*****

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001
दिनांक 16 मार्च, 2016

कार्यालय ज्ञापन

विषयः सेवा संबंधी मामलों में भारत सरकार के अनुदेशों के विरुद्ध अदालती आदेश- अपील दायर करने के प्रश्न पर विधि मंत्रालय तथा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के साथ परामर्श।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 01 मई, 2000 के का.ज्ञा. सं. 28027/9/99-स्था.(क) (प्रति संलग्न) का संदर्भ देने तथा यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग नोडल विभाग है जो सेवा मामलों के संबंध में नीतियां बनाता है तथा समय-समय पर अनुदेश जारी करता है। इन अनुदेशों का केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा निष्ठापूर्वक अनुपालन करना अपेक्षित होता है। कर्मचारियों द्वारा दायर किए गए सभी अदालती मुकदमों का इस विभाग द्वारा उक्त विषय पर जारी किए गए अनुदेशों को ध्यान में रखते हुए संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर बचाव किया जाता है।

2. दिनांक 25.02.1994 के मंत्रिमंडल सचिवालय के अर्द्ध-शासकीय पत्र सं. 6/1/1/94-मंत्रिमंडल तथा दिनांक 16.05.2012 के व्यय विभाग के का.ज्ञा. सं. 7(8)/2012-स्था-II(क) का संदर्भ दिया जाता है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान किया जाता है कि (i) संबंधित प्रशासनिक विभाग/मंत्रालय, जहां याचिकाकर्ता सेवारत है अथवा उसने अंतिम बार सेवा की है, द्वारा भारत संघ की ओर से न्यायालय के समक्ष सामान्य प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया जाना चाहिए; और (ii) उक्त उत्तर में प्रत्येक विभाग/मंत्रालय के दृष्टिकोण को उजागर करने के बजाय एक समेकित दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि यह सुनिश्चित करना मुख्यतः प्रशासनिक मंत्रालय का उत्तरदायित्व है कि किसी अदालती मामले में प्रत्येक चरण पर समयबद्ध कार्रवाई की जाए तथा भारत सरकार की ओर से प्रत्येक ऐसे चरण पर एक समेकित दृष्टिकोण अपनाया जाए। किसी भी स्थिति में मुकदमेबाजी को उस हद तक नहीं बढ़ने देना चाहिए कि वह अवमानना की श्रेणी में आ जाए।

3. तथापि, यह देखा जाता है कि मंत्रालय/विभाग भलीभांति विचार किए बिना इस विभाग को अनेक संदर्भ भेज रहे हैं तथा दिशानिर्देशों की व्याख्या करने के लिए कह रहे हैं। **मंत्रालयों/विभागों को इस विभाग को तब तक कोई संदर्भ न भेजने की सलाह दी जाती है जब तक कि इन दिशानिर्देशों की व्याख्या/अनुप्रयोग से संबंधित कठिनाइयां विद्यमान न हों अथवा सरकारी सेवक द्वारा सामना की जाने वाली किसी वास्तविक कठिनाई को कम करने के लिए नियमों/अनुदेशों में ढील दी जानी आवश्यक न हों।** इस विभाग की सलाह मांगते समय, इस विभाग के दिनांक 28.10.2015 के का.ज्ञा. सं. 43011/9/2014-स्था. (घ) में निहित अनुदेशों का अनुसरण किया जाए।

4. अदालती मुकदमों का निपटान निम्नलिखित तरीके से किया जाना चाहिएः-

क्र.सं.	न्यायालय के आदेश	की गई कार्रवाई
1.	अधिकरण/न्यायालय द्वारा एक निर्णय/आदेश को इस आधार पर निरस्त कर दिया गया है कि उससे नियमों/सरकारी अनुदेशों का उल्लंघन होता है, लेकिन प्रतिकूल टिप्पणियों के लिए सरकार ने कोई नीति नहीं बनायी है।	प्रशासनिक विभाग केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) के आदेश/निर्णय को लागू करें, यदि यह सरकारी नीति के अनुरूप है तथा सरकारी मुकदमा प्रशासनिक कमियों के कारण सरकार मुकदमा हार चुकी है।
2.	जिन मामलों में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की नीति को निरस्त नहीं किया गया है, किन्तु अधिकरण/उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय का निर्णय/आदेश प्रतिवादियों/आवेदनकर्ताओं के पक्ष में हुआ है। (क) उक्त ऐसे मामले जिनमें, प्रशासनिक मंत्रालय निर्णय के क्रियान्वयन के पक्ष में है। (ख) उक्त ऐसे मामले जिनमें, रिट याचिका/विशेष अनुमति याचिका (जैसा मामला हो) दायर करने के लिए निर्णय लिया जाना होता है।	- प्रशासनिक मंत्रालय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग तथा विधिक कार्य विभाग के परामर्श से निर्णय ले सकता है। - प्रशासनिक विभाग विधिक कार्य विभाग (डीओएलए) तथा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के परामर्श से रिट याचिका/विशेष अनुमति याचिका (जैसा मामला हो) दायर करने के लिए निर्णय ले सकता है।
3.	जहां अधिकरण/उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय का निर्णय/आदेश प्रतिवादियों/आवेदनकर्ताओं के पक्ष में हुआ है तथा सरकारी नीति को दर्शाने वाली योजना/दिशानिर्देश/कार्यालय ज्ञापन निरस्त कर दिए गए हैं।	प्रशासनिक विभाग विधिक कार्य विभाग तथा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के परामर्श से रिट याचिका/विशेष अनुमति याचिका (जैसा मामला हो) दायर करने के लिए निर्णय ले सकता है। संदर्भ इस विभाग को कम से कम एक सप्ताह पूर्व भेजे जाने चाहिए ताकि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में उनकी भलीभांति परीक्षण किया जा सके।
4.	केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण अथवा उच्चतर न्यायालय ने सरकार के दृष्टिकोण का समर्थन किया है।	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को केवल सभी विवरणों के विषय में सूचित किया जाए।

(मुकेश चतुर्वेदी)
निदेशक (स्थापना)
दूरभाष: 23093176

सेवा में,

सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव (मानक सूची के अनुसार)

प्रतिलिपि प्रेषितः-

1. राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली।
2. उप-राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली।
3. प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली।
4. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली।
5. राज्य सभा सचिवालय/लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
6. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली।
7. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
8. सचिव, कर्मचारी चयन आयोग, नई दिल्ली।
9. कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के सभी संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय।
10. सचिव, संयुक्त परामर्शदात्री मशीनरी (जेसीएम), 13, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली।
11. सभी मंत्रालयों/विभागों के केन्द्रीय सतर्कता अधिकारी।
12. एडीजी (एम एवं सी), प्रेस सूचना ब्यूरो, डीओपीटी।
13. एनआईसी, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली (उक्त को कार्यालय ज्ञापन एवं आदेश→ स्थापना→विविध शीर्षक के अंतर्गत इस मंत्रालय की बेवसाइट पर अपलोड करने के लिए)।

(मुकेश चतुर्वेदी)
निदेशक (स्थापना)
दूरभाष: 23093176